परिशिष्ट - 01
[8/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 116]

# कार्यालय कुलसचिव,
# राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
# ग्वालियर (म.प्र.)


कुलसचिव

Ph-: 0751-2970519 (O) 0751-2970522 (Fax)
E-mail- registrar.rvskvv09@gmail.com


क्रमांकः / कु.स / स्था. दो / अवकाश / 2018 / 385 दिनांक 28/07/2018

## / / आदेश / /

म0प्र0 औद्योगिक स्थाई आज्ञाएँ अधिनियम, 1961 के नियम 1963 के नियम 8 के अनुसार माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार अवकाश की स्वीकारता के संबध में पूर्व मे जारी आदेश क्रमाक / कु.स. / स्था. दो / अवकाश / 2018 / 1210 दिनांकित 03.07.2018 को संशोधित करते हुए अवकाश संबधी प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे विश्वविद्यालय अतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिको / अस्थायी / आकस्मिक श्रमिको को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते है।

1 राष्ट्रीय अवकाश – गणतन्त्र दिवस स्वतंत्रता दिवस गाँधी जयन्ती (स्थाई आज्ञाएँ अधिनियम, 1961 के नियम 1963 के नियम 8 अ के अनुसार)

2 त्यौहारी अवकाश – होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, गुरूनानक जयन्ती, गणेश चतुर्थी, किरामस डे, विश्वकर्मा जयन्ती में से कोई पाच (5)

(स्थाई आज्ञाएं अधिनियम, 1961 के नियम 1963 के नियम 8 अ के अनुसार, नियुक्ता व कर्मचारियो के प्रतिनिधि से चर्चा अनुसार जो भी निश्चित हो )

3 इन श्रामिको को उक्त वर्णित अवकाशों के अतिरिक्त सात (7) दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता भी होगी। (स्थाई आज्ञाएँ अधिनियम, 1961 के नियम 1963 के नियम 8 स के अनुसार। क्योंकि आज दिनाक तक कोई करार, अनुबध, समझौता अथवा आदेश उक्त आकस्मिक अवकाश के विषय मे नही हुआ है।)

उपरांक्त अवकाशो की पात्रता उन श्रमिका को ही होगी, जिनकी गत कैलेण्डर वर्ष मे कम से कम 240 दिन की उपस्थिति हो। परन्तु यह स्पष्ट रहे कि सामान्यत एक बार मे दो दिनो से अधिक के आकस्मिक अवकाश की पात्रता नही होगी। अवकाश के लिए जिस अधिकारी के अतर्गत श्रमिक कार्यरत है उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

उपरोक्त सुविधाये कैलेण्डर वर्ष 2018 से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगी।

माननीय कुलपतिजी के/आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमशः.....................2

क्रमांकः/कु.स./स्था. दो/अवकाश/2018/386 दिनाक 28/07/2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अधिष्ठाता कृषि सकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/विस्तार सेवाये/अनुसधान सेवायें/ रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. सह संचालक अनुसधान (बीज प्रक्षेत्र), रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. अधिष्ठाता कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इदौर/सीहोर/खडवा/मदसौर।
5. समस्त सह संचालक आँचलिक कृषि अनुसधान केन्द्र
6. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, ........................
7. प्रभारी अधिकारी, फल/क्षेत्रीय/कृषि अनुसधान केन्द्र, ईटखेडी/उज्जैन/जावरा।
8. लेखानियत्रक, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
9. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
10. उप निदेशक शिक्षण एव छात्र कल्याण, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
11. उप कुलसचिव, (स्थापना/शिक्षण) रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
12. पोर्टल अधिकारी की ओर विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड।
13. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
14. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव

पृष्ठ संख्या 01 से 02 तक परिशिष्ट 01

28/6/24

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल